नैक द्वारा प्रत्यायित श्रेणी ''बी''

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जंगल धूसड़- गोरखपुर

मो. : 7897475917, 9794299451
Website: www.mpm.edu.in
E-mail : mpmpg5@gmail.com

स्थापित २००५ ई.

पत्रांक : ....   दिनांक : 27.08.2019

चुनाव प्रक्रिया एंव आचार संहिता

चुनाव प्रक्रिया – चुनाव प्रक्रिया तीन दिनों में 29 अगस्त से 31 अगस्त, 2019 तक पूर्ण की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया से सम्बन्धित सभी सूचनाएं एवं निर्देश सूचना पट पर चस्पा कर दिया जाएगा। छात्र–संघ के निदेशक चुनाव अधिकरी होगें।

प्रतिनिधि चयन – 29.08.2019 सभी कक्षा प्रतिनिधि छात्र–संघ संविधान के अनुसार चुने जायेंगे।

पदाधिकारी नामांकन – 29.08.2019 सायं **03:00 बजे से 05:00** बजे तक **अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं पुस्तकालय मंत्री** हेतु महाविद्यालय के छात्र/छात्रा में से एक प्रस्तावक तथा एक समर्थक द्वारा प्रत्याशिता निर्धारित प्रारूप पर किया जा सकेगा। प्रत्याशिता प्रारूप पर प्रत्याशी की सहमति भी अनिवार्य होगी।

नामांकन वापसी – 30.08.2019 प्रातः **09:00 बजे से 10:00** बजे तक प्रत्याशी द्वारा अपनी प्रत्याशिता वापस ली जा सकेगी। तत्पश्चात **10:30 से 11:00** बजे तक प्रत्याशियों के आवेदन/पर्चे की जांच होगी।

योग्यता भाषण – 30.08.2019 को वैध प्रत्याशियों की सूची घोषित होते ही **01:30** बजे से योग्यता भाषण प्रारम्भ होगा। जिसमें प्रत्याशी साधारण सभा के समक्ष अपनी बात **10 मिनट** में रख सकता है।

मतदान – तीसरे दिन 31.08.2019 महाविद्यालय के समय–सारिणी के अनुसार सभी विषयों की कक्षाएं चलेंगी तथा मतदान होगा।

मतगणना एवं परिणाम – 31.08.2019 अपराह्न **01:20** बजे से परिणाम आने तक मतगणना चलती रहेगी। मतगणना के पश्चात चुनाव अधिकारी उसी दिन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं पुस्तकालय मंत्री को प्रमाण–पत्र दे देंगे।

चुनाव आचार संहिता – छात्र–संघ चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जायेगी। चुनाव आचार संहिता का पालन अनिवार्य होगा। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी की प्रत्याशिता स्वतः समाप्त हो जायेगी। चुनाव आचार संहिता में निम्नलिखित आचरण, व्यवहार अपेक्षित होंगे–

(क) चुनाव प्रचार हेतु कोई भी प्रत्याशी पोस्टर, बैनर पर्चा, दिवाल लेखन आदि किसी भी प्रकार का व्यय साध्य तरीका नही अपनायेगा।

(ख) कक्षाओं में उद्बोधन, परिसर में एकाधिक के साथ समूह बनाकर चलना, किसी बाहरी को परिसर में बुलाना आदि प्रतिबन्धित रहेगा।

(ग) महाविद्यालय परिक्षेत्र में किया गया कोई भी अमर्यादित आचरण, व्यवहार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा।

(घ) योग्यता भाषण का आयोजन ही प्रचार का एकमात्र माध्यम होगा।

(ङ) चुनाव अधिकारी के निर्णय पर प्राचार्य के पास अपील की जा सकेगी। प्राचार्य का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। प्राचार्य के निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

डॉ. विजय कुमार चौधरी
(चुनाव अधिकारी)